न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 6ए / 01 / 19

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री अरसद पुत्र नसरू जाति मेव निवासी माधोगढ, ग्राम पंचायत गोपालगढ तहसील पहाडी ....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित मोटर स्प्रिट एण्ड हाईस्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एवं प्रेवेशन आफ मैल प्रेक्सिसेज) आदेश 2005 बावत।

1– श्री अशोक कुमार योगी, पेरोकार रसद
2– श्री सुरेश पाठक ऐडवोकेट अभिभाषक अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक 20.08.2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2017 को पहाडी गोपालगढ रोड पर स्थित दुकान में डीजल व पैट्रोल माप के यन्त्र आदि पाये जाने पर जांच की गई। दुकान पर अरसद द्वारा हरियाणा से कम कीमत पर डीजल व पैट्रोल लाकर अवैध तरीके से बिना अनुज्ञापत्र या वैद्य दस्तावेज के मुनाफा कमाने के उद्देश्य से विक्रय किया जाना मिलाा। मौके पर प्राप्त 256 लीटर डीजल व 2 लीटर पैट्रोल, 2 कीप, दो 500 एमएल के माप, दो 1 लीटर के माप, एक 5 लीटर का माप, 1 नली व दो हिसाब की डायरी,

जिसमें डीजल व पैट्रोल की मात्रा कीमत आदि का उल्लेख है, को डिस्पोजल किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस जारी किये गये। सरकार पैरोकार रसद उपस्थित। अप्रार्थी व उसके अभिभाषक अनुपस्थित। कई बार आवाज लगवाई गई अप्रार्थी व उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये एवं पूर्व में भी कई बार बहस हेतु मौका दिया जा चुका है लेकिन उपस्थित नहीं आये। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पेरोकार रसद ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि दिनांक 12.09.2017 को ग्राम गोपालगढ श्री अरसद पुत्र नसरू जाति मेव की दुकान पर जाकर जांच करने पर निम्न स्थिति सम्मुख आई । पहाडी तहसील के कस्बा गोपालगढ में पहाडी गोपालगढ रोड पर बाजार में पहाडी से आने पर दाईं ओर स्थित दुकान में डीजल एंव पैट्रोल माप के यन्त्र आदि पाये जाने पर जांच की गई। दुकान में अरसद द्वारा हरियाणा से कम कीमत पर डीजल व पैट्रोल लाकर मुनाफा प्राप्त कर विक्रय किया जाना पाया। डीजल व पैट्रोल की बिक्री, संग्रहण व क्रय बावत अरसद एक अधिकृत व्यक्ति नहीं होना पाया व न ही उसके पास कोई अनुज्ञापत्र या वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नही पाये गये। जिस स्थान पर डीजल व पैट्रोल का विक्रय किया जाना पाया वह किसी तेल कम्पनी का प्राधिकृत वितरण स्थल नही है। मौके पर उपलब्ध डीजल व पैट्रोल के नमूना लेने के बाद शेष 256 लीटर डीजल व 2 लीटर पैट्रोल, 2 कीप, दो 500 एमएल के माप, दो 1 लीटर के माप, एक 5 लीटर का माप, 1 नली व दो हिसाब की डायरी, जिसमें डीजल व पैट्रोल की मात्रा कीमत आदि का उल्लेख है तथा एक पर अरसद डीजल सर्विस लिखा हुआ है, के आधार पर अरसद द्वारा अवैद्य रूप से डीजल व पैट्रोल का अवैद्य विक्रय करना स्पष्ट स्थापित होता है। उक्त सामग्री को जप्त सरकार किया गया। अरसद का यह कृत्य मोटर स्प्रिट एण्ड हाईस्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एवं प्रेवेशन आफ मैल प्रेक्सिसेज) आदेश 2005 के खण्ड 2(च) व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण में जप्तशुदा 256 लीटर डीजल व 2 लीटर पैट्रोल, 2 कीप, दो 500 एमएल के माप, दो 1 लीटर के माप, एक 5 लीटर का माप, 1 नली को राजसात कराने का श्रम करावें।

चूंकि डीजल एवं पैट्रोल शीघ्र क्षयशील एवं उडनशील वस्तु है। अतः जप्तशुदा डीजल एवं पैट्रोल के राजसात बावत अन्तिम निर्णय पारित होने तक डीजल एवं पैट्रोल का अन्तिम निस्तारण करावें।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट या उसके वकील का उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है कि उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नही कहना है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है अरसद का यह कृत्य मोटर स्प्रिट एण्ड हाईस्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एवं प्रवेशन आफ मैल प्रेक्सिसेज) आदेश 2005 के खण्ड 2(च) व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रांम विलंग क्षेत्र हरियाणा राज्य की सीमा के निकट है। हरियाणा और राजस्थान राज्य में डीजल की कीमतों में अन्तर के कारण अप्रार्थी0 द्वारा डीजल की कालाबाजारी में लिप्त होने की आंशका से भी इन्कार नही किया जा सकता है। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार योग्य रहता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। जप्तशुदा 256 लीटर डीजल व 2 लीटर पैट्रोल, 2 कीप, दो 500 एमएल के माप, दो 1 लीटर के माप, एक 5 लीटर का माप, 1 नली राजसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर